

समझ में आ सकती है। यह सदन इन अनुपूरक मांगों में उसी प्रकार के खर्च की अनुमति दे सकता है जिनकी कि सरकार को पहले से कल्पना नहीं थी। लेकिन आप देखें कि पृष्ठ 14 पर मांग नं० 8 में 3,74,67,000 रु० की मांग इसलिए की गई है।

ITEM (IV) :

"Rs. 374.67 lakhs, due to increase in the number and value of compensation claims for goods lost or damaged and the clearance of outstanding cases."

मेरा निवेदन यह है कि यह जो इतनी बड़ी रकम मांगी जा रही है क्या उसका अनुमान यह विभाग पहले से नहीं लगा सकता था। मैं समझता हूँ अनुपूरक मांगों के द्वारा इस प्रकार इस प्रकार की मांगे इस सदन में नहीं आनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कमर्शल क्लर्क्स जिनकी संख्या 42 यह 43 हजार के करीब होगी, उनके सम्बन्ध में मैंने मन्त्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से भी प्रार्थना की है। ये लोग काफी योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं इनमें बी. काम, एम. काम, ला प्रोजेक्ट और डब्लु प्रोजेक्ट्स हैं। इनकी योग्यता के अनुसार इनके ऊपर अनेकों प्रकार की जिम्मेदारियाँ भी हैं। नको सामान की परख करनी पड़ती है और खजान्ची का काम भी करना पड़ता है। सभी प्रकार की जिम्मेदारी इनको अपने ऊपर लेनी पड़ती हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इनको जो तरक्की के अवसर मिले हुए हैं वह केवल 45 परसेन्ट हैं लेकिन इनके अलावा जो और साधारण किस्म के कर्मचारी हैं जिनके लिये न तो हम प्रकार की योग्यता और न उत्तरदायित्व की ही आवश्यकता होती है उनके लिए जो प्रमोशन के चान्सेज है वह कहीं तो 50 प्रतिशत हैं और कहीं 70 प्रतिशत हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि ये जो कामशील क्लर्क्स हैं जिनके तरक्की के रास्ते में मुहकमा रुकावट डाल रहा है, उस रुकावट को दूर करके इनके प्रमोशन के चान्सेज को 45

प्रतिशत से कम से कम 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जाय।

इसके अतिरिक्त एक और भी समस्या है। जो ट्रांसपोर्टेशन का स्टाफ होता है वह डी-कैटेगरीज़ हो करके इस श्रेणी में आ जाता है। नतीजा यह होता है कि स्टेशन मास्टर्स, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स जो कि मैट्रिकली फिट भी होते हैं। वे डाक्टरों से भूठा सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फिर इस महकमे के अन्दर आकर के अपने प्रमोशन के चान्सेज बनाना चाहते हैं। वे लोग डाक्टरों से भूठा सर्टिफिकेट ले लेते हैं। कि वे अनफिट हैं और फिर यहां आकर इन कामशील क्लर्क्स के प्रमोशन के चान्सेज पर प्रसर डालते हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछले रेल मन्त्री महोदय ने भी हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करके यह निर्णय लिया था कि या तो डिक्रीटो-गेराइज्ड स्टाफ और ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ को इस के अन्दर शामिल नहीं किया जायगा और अगर शामिल भी किया जायेगा तो उनके लिए अलहदा एक परसेटेंज मुकर्रर कर दी जायगी ताकि जो प्रमोशन के चान्सेज कमशियल कैटेगरी को हैं उन से उन को वंचित न किया जाय। 15-15 और 20-20 और 25-25 साल की सविस के बाद कोई एक साल प्रमोशन का चांस मिले और यह डिक्रीटो-गेराइज्ड स्टाफ आकर उसका फायदा उठा ले...

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may resume his speech after lunch.

13 hrs.

*The Lok Sabha adjourned for lunch till
Fourteen of the Clock.*

*The Lok Sabha re-assembled after lunch at
Four Minutes Past Fourteen of the Clock.*

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

RE. DHARNA BY MEMBERS OF DELHI
METROPOLITAN COUNCIL AT THE
DEPUTY PRIME MINISTER'S
RESIDENCE

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक

[श्री बलराज रघोक]

महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता है। आपको पता होगा कि आज प्रातः से दिल्ली महा-नगर परिषद के तीस निर्वाचित सदस्य वित्त मन्त्री श्री मोरारजी देसाई के घर पर धरना देकर बैठे हुए हैं। उनकी मांग बड़ी उचित है। वह यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है। जिस गति से देश की आबादी बढ़ रही है उसी गति से इस नगर की आबादी भी बढ़ रही है। पिछले पन्द्रह सालों में उसमें 400 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यहां की सामाजिक सेवाओं के लिए रुपया चाहिए। इसलिए दिल्ली प्रशासन ने कहा कि हमें अगली फाइव इअर प्लेन में 400 करोड़ रुपया दिया जाये, और दिल्ली महा-नगर परिषद ने यूनेस्को प्रस्ताव द्वारा मांग की कम से कम 225 करोड़ रुपया दिया जाए। प्लेनिंग कमिशन जो रकम निर्धारित करता है उसने कहा कि 217 करोड़ दिया जाये। लेकिन प्लेनिंग कमिशन की सिफारिश को नजरअन्दाज कर के वित्त मन्त्री ने 155 करोड़ कर दिया है।

दिल्ली महा-नगर परिषद् कहती है कि आप हमें कुछ न दीजिये। जो ऐडिशनल रिसोर्सेज हम पैदा करें, जो हम यहां की एकानमी बनायें, उसके लिए आप हथको इजाजत दीजिये कि हम दिल्ली के डेवलपमेंट पर खर्च कर सकें। हम और कुछ नहीं मांगते। लेकिन वित्त मन्त्री ने उसको नहीं माना। यहां बार-बार कहा जाता है कि हम राज्यों में भेद-भाव नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के साथ भेदभाव किया जा रहा है, चूंकि यहां दूसरी पार्टी कार्य कर रही है। मैं चाहता हूँ कि वित्त मन्त्री यहां पर कोई बयान दे और जो स्थिति है वह आगे न चले। यही मेरी प्रार्थना है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : How does that arise here ? Is the Railway Minister allocating some amount for this ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : If they want, I would request them to go and do some harvesting work.

श्री बलराज रघोक : हारवेस्टिंग तो यहां भी कर रहे हैं।

श्री शशि भूषण : (खारगोन) : मेरे मित्र ठीक कह रहे हैं। डिमान्ड बिलकुल सही है। अगर महा-नगर परिषद चल नहीं सकती तो भंग कर दिया जाय। या तो उसको और पैसा दिया जाये या फिर उसको बन्द कर दिया जाये।

श्री बलराज रघोक : हम पैसा भी लेंगे और उसको चलायेंगे भी।

MR. DEPUTY SPEAKER : I thought, the intention was to bring it to the notice of the House that all the representatives are having *dharna* or *gh-rah*, whatever you call it, I do not know, before the Finance Minister's house with a view to seeing that whatever new resources are raised must be given to Delhi. Now it is all over. Let us proceed with the debate on the Supplementary Demands for Grants in respect of Railways.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS), 1968 69—Contd

SHRI SEZHIYAN : Sir, in the morning I raised a pertinent point regarding the procedure and again I want to bring to the notice of the House the Rules of Procedure about this. There is a serious lacuna in what the Minister has done. Supplementary Demands have been circulated and a Bill is going to be introduced in the House. The Demands always come in the form of a motion. If you go through our debates you will find that it will be mentioned there :—

Motion moved :

“That a supplementary sum not exceeding Rs..... be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year.....”